

अल्पकालिक निविदा सूचना

शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष निर्माण कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदा जिला पंचायत, गोण्डा के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 28.01.2015 को समय 10.30 बजे से अपराहन 2.30बजे तक कार्यालय जिला पंचायत गोण्डा में आमंत्रित की जाती है जिन्हें उसी दिन इच्छुक निविदादाताओं की उपस्थिति में अपराहन 3.00 बजे निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 28.01.2015 तक कार्यालय कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्माण कार्य के लागत की 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 के रूप में जो "अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, गोण्डा" के पदनाम बंधक होगी, जमा करना अनिवार्य होगा। प्राप्त न्यूनतम निविदा को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध पत्र लिखना होगा। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत गोण्डा में निहित होगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से की जा सकती है। विवरण निम्नवत् है :-

क्रसं	विकास खण्ड	परियोजना/कार्य का नाम	ठेके की स्वीकृत धनराशि	धरोधर धनराशि	टेण्डर मूल्य वैट सहित	कार्यअवधि कार्य आदेश की तिथि से
1	2	3	4	5	6	7
1	करनैलगंज	ग्राम भंभुआ में किसान इण्टर कालेज सं0मार्ग पर	2.76	5520	525	1 ekg

निविदा हेतु आवश्यक शर्तें :-

- 1.सम्बन्धित कार्यो को जनपद गोण्डा की वेबसाइट **WWW. gonda.nic.in.** पर देखा जा सकता है तथा निविदा प्रपत्र उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2.डाउनलोड किए गये निविदा प्रपत्र तथा कार्यालय द्वारा क्रय किये गये निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय जिला पंचायत, गोण्डा के निविदा बाक्स में डाले जायेंगे।
3. वेबसाइट द्वारा डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क कॉलम 6 के अनुसार का बैंकड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत गोण्डा के नाम निर्गत होगा, को निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।
- 4.निर्माण कार्य के लागत की 2 प्रतिशत धरोधर धनराशि निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा धरोधर धनराशि के अभाव में निविदा निरस्त मानी जायेगी।
5. अनुबन्ध हेतु ठेकेदारों को स्टाम्प ऐक्ट के अनुसार स्टाम्प जमा करना अनिवार्य होगा।

अभियन्ता
जि0पं0गोण्डा

अपर मुख्य अधिकारी
जि0पं0गोण्डा
कार्यालय जिला पंचायत, गोण्डा

अध्यक्ष,
जि0पं0गोण्डा

पत्रांक- /नि0अनु0 /2014-2015

तददिनांक-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जनपद न्यायाधीश, गोण्डा।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, गोण्डा।
4. पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।
5. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
6. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
7. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग- 1 गोण्डा।
8. अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग-2 गोण्डां
9. अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोण्डा।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गोण्डा।
11. वनाधिकारी, उत्तरी/दक्षिणी, वनप्रभाग, गोण्डा।
12. सहायक लेखाधिकारी/वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, गोण्डा।
13. जिला पंचायत कार्यालय गोण्डा के सूचना बोर्ड पर चरप्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गोण्डा।